

अत्यावश्यक
पंचायत उप चुनाव, 2023



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0 30-97/2021- 4074
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक-04 दिसम्बर, 2023

विषय:- पंचायत उप निर्वाचन 2023 के निमित्त जिलों में विभिन्न कोषांग गठित करने के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक 4072 दिनांक 04.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत उप निर्वाचन, 2023 सम्पन्न कराये जाने के निमित्त निदेश दिये गये हैं। निर्वाचन के सफल संचालन हेतु जिलों में विभिन्न कोषांगों का गठन ससमय किया जाना आवश्यक है।

अनुरोध है कि पंचायत उप निर्वाचन 2023 के निमित्त विभिन्न कोषांग गठित करने की कृपा की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाए। साथ ही कोषांग गठन से संबंधित आदेश आयोग को दिनांक 07.12.2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित कि जाए।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-97/2021 4074

पटना, दिनांक-04 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-97/2021 4074

पटना, दिनांक-04 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-97/2021 4074

पटना, दिनांक-04 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

4.12.23